राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 31.07.2020

आदेश

विषयः अनलॉक–3 (1 अगस्त से 31 अगस्त, 2020) के क्रियान्वयन आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा अनलॉक–3 के लिए नयी गाईडलाईन्स जारी की गयी हैं।

तद्नुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक–3 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी की जाती है :–

A. कन्टेन्मेन्ट जोन्स/कर्फ्यू क्षेत्र
(Containment Zones/Curfew areas)

ये वे क्षेत्र हैं जहाँ कोविड–19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे क्षेत्र की उपयुक्त चिन्हित कर अधिसूचित किया जायेगा। कन्टेन्मेन्ट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन्स में वर्णित प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी एवम् केवल चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने हेतु गतिविधियां अनुमत होंगी एवम् सख्त परिधि

नियंत्रण लागू होगा। धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

<u>कन्टेनमेन्ट जोन्स में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी।</u>

जिला प्राधिकारी संबंधित कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर **बफर जोन** की पहचान भी करेंगे और ऐसे क्षेत्र के लिए गतिविधियों पर आवश्यकतानुसार प्रतिबंधों का निर्धारण करेंगे।

B. नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियां
(Negative List/Prohibited Activities)

1. सम्पूर्ण राज्य में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी :

(i) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राऐं बन्द रहेंगी।

(ii) मैट्रो रेल सेवाऐं बन्द रहेंगी।

(iii) सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(iv) सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के अलावा), ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे।